कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,खटीमा
(ऊधम सिंह नगर)

eepwdkhatima@gmail.com

पत्रांक : 753 /7सी0 दिनांक :– 30/03/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी, नैनीताल

विषय :– मा0 मु0 घोषणा संख्या–19/2018 के अन्तर्गत विधानसभा नानकमत्ता के ग्राम देवीपुरा से ज्ञानपुर गौढ़ी मोटर मार्ग एवं किमी0 02 पर 60 मी0 स्पान के आर0सी0सी0, पी0एस0सी0 गर्डर पुल के निर्माण हेतु 0.98 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक संख्या 3465/12–1 हल्द्वानी दिनांक 21.11.2023 एवं अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन, देहरादून का पत्र संख्या 1426/X-3-23/1(88)/2023 वन अनुभाग–3 दिनांक 06.11.2023।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1426/x-3-23/1(88)/2023 वन अनुभाग–03, देहरादून दिनांक 06.11.2023 द्वारा विषयक प्रस्ताव के सापेक्ष सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष अक्षरशः अनुपालन आख्या निम्नवत नियत प्रारूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है –

Sl. No.	Conditions	Compliance
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण : (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1960 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.96 है० (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें। (ख) नोडल अधिकारी पौधोरोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम शासन में प्रस्तुत करेगी।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये धनराशि रू0 879630.00 मात्र यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा खटीमा के माध्यम से CAMPA COMPENSATORY AFFORESTATION FUND CAF (A/C ID- 520101263743728 INR 03712) में दिनांक 30.03.2024 को जमा करायी जा चुकी है। (ख) वनविभाग से सम्बन्धित है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्यः (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या–202/1995 में 1A नम्बर 566 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/1998–एफ०सी० (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ०सी० दिनांक 03.10.2006, 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 एवं 5–3/2011–एफ०सी० (Vol-I) दिनांक 06-01-2022 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 0.98 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० वसूल करेगी।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 के लिये धनराशि रू0 1094562.00 मात्र यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा खटीमा के माध्यम से CAMPA COMPENSATORY AFFORESTATION FUND CAF (A/C ID-520101263743728 INR 03712) में दिनांक 30.03.2024 को जमा करायी जा चुकी है।

	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार प्रति है० 50 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एव पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
7	DFO will inform Nodal office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before state&II approval as per guidelines para 11-2- Nodal will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	वन विभाग से सम्बन्धित है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त वन केवल ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
9	एफ०आर०ए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा जो वनभूमि प्रस्ताव में संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
11	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जाएगे।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
12	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफ0सी0/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
17	सम्बन्धित प्रमागीय वनाधिकारी की निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तित की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति को बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।

22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ०सी० दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
24	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रमागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थनों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
25	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालयी/आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, हो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना नोडल अधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	इस शर्त का पालन किया जायेगा।

उपरोक्त अनुपालन आख्या संलग्नों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयक प्रस्ताव की विधिवत स्वीकृति (स्टेज–2) हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें जिससे कि इस महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य समयानुसार पूर्ण किया जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०,खटीमा
(ऊधम सिंह नगर)
दिनांक :– / /2024

पत्रांक : /7सी०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, हल्द्वानी, नैनीताल।
2. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लो०नि०वि० रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)।
3. सहायक अभियन्ता द्वितीय, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, खटीमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०,खटीमा
(ऊधम सिंह नगर)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमहल वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfoter@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

सेवा में, पत्रांक 6922 /12-1 हल्द्वानी, दिनांक 27.05.2024

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः– मा0 मु0 घोषणा संख्या–19/2018 के अन्तर्गत विधानसभा नानकमत्ता के ग्राम देवीपुरा से झानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग एवं किमी0 2 पर 60 मीटर स्पान के आर0सी0सी0 पी0एस0सी0, गर्डर पुल के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– आपका पत्रांक–1619/7सी0 दिनांक–20.05.2024।

महोदय

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर सैद्धान्तिक शर्तों की अनुपालन आख्या पुनः प्रेषित की जा रही है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र0 सं0	शर्तें	अनुपालन
01	वन भूमि की विधिक परिस्थिती नहीं बदली जायेगी	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
02	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
03	प्रतिपूरक वनीकरणः क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1960 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.96 है0 (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो ,स्थानीय स्वदेशी प्रजातीय को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए रू0 8,79,630/–CAMPA के खाता संख्या –5201012637437281NR3712 में जमा कर दी गई है। (संलग्न–1)
	ख) नोडल अधिकारी पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का	उक्त बिन्दु का अनुपालन में दक्षिणी जौलासाल वन क्षेत्र के सुदलीमठ प्रथम कक्ष सं0 43I में रिक्त स्थान में 1960 पौध 1.960 है0 में पौधारोपण किया

	नाम शासन में प्रस्तुत करेगी।	जाना है। जिसका पौधारोपण योजना के साथ नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र प्रेषित किया जा रहा है।
04	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
05	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002 ए 01.08. 2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एंव 09.05. 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी.(Pt.2) दिनांक 18.09. 2003, एवं 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006, 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-एफ.सी.(Vol-1) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.98 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूली करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि इस प्रस्ताव के तहत 0.98 हे. वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0 1094562.00/-CAMPA के खाता संख्या -5201012637437281NR3712 में जमा कर दी गई है। (संलग्न-1)
	ख) विषेशज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सवोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि को हो, जो अंतिम रूप देने बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तन वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि यदि कोई हो को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किया जायेगा, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका एक शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
06	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार प्रति है0 60 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में काटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नही काटे जायेंगे।

	पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	
07	DFO will inform Nodal office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before state&II approval as per guidelines para 11-2 Nodal will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	उक्त बिन्दु का अनुपालन दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
08	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक, वनीकरण कोश प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
09	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाणपत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि एफआरए, 2006 प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न है।(संलग्न–5)
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साईनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
12	सीडब्लूएलडब्लू/एनबीडब्लूएल/एफ0सी0/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि किसी भी प्रकार की वन लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग न करके सिर्फ वैकल्पिक ईंधन उपयोग किया जान सुनिश्चित किया जायेगा।
17	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।	उक्त बिन्दु का अनुपालन दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तित की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि वन भूमि कर उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जायेगा।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिती में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिती में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण)अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि सभी शर्तो का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का पालन किया जायेगा।

24	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का पालन किया जायेगा।
25	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद / नियम / न्यायालयी / आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना नोडल अधिकारी / प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का पालन किया जायेगा।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का पालन किया जायेगा।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक 6922 /12–1 दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी जनपद ऊधमसिंह नगर।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 खटीमा, ऊधम सिंह नगर।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।